

आदेश

जनपद न्यायालय, कानपुर देहात में आदेश सं० 289/2023 दिनांकित 18.10.2023 के द्वारा गठित कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न सम्बन्धी आन्तरिक परिवाद समिति (Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, prohibition and redressal) Act 2013) में न्यायिक अधिकारी श्रीमती श्वेतिका उपाध्याय, सिविल जज (अवर वर्ग) का स्थानान्तरण गैर जनपद में होने के कारण समिति का पुर्नगठन निम्न अनुसार किया जाता है।

1. सुश्री पूनम सिंह- प्रथम, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 5, कानपुर देहात।
 2. श्रीमती अलंकृता शक्ति त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात। -अध्यक्ष
 3. श्रीमती शोभा सुरोलिया, प्रधान सहायक, जनपद न्यायालय, कानपुर देहात। -सदस्य
 4. श्रीमती इकराम फात्मा, वरिष्ठ सहायक, जनपद न्यायालय, कानपुर देहात। -सदस्य
 5. श्रीमती कंचन मिश्रा, समाजसेवी एवं संस्थापक/सचिव सोसाइटी फार इक्विटेबल वालियेन्ट्री एक्टीविटी रींग समिति (पंजी०), अकबरपुर, कानपुर देहात। - सदस्य
- सदस्य

यदि परिवाद बार के किसी सदस्य के विरुद्ध है तो आन्तरिक परिवाद समिति स्व-विवेक से बार से एक या एक से अधिक सदस्य का सहयोजन (Co-opt) कर सकती है।

आन्तरिक परिवाद समिति द्वारा Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, prohibition and redressal) Act 2013 एवं माननीय उच्च न्यायालय के समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए परिवादों की गहनता से जांच कर विचारोपरान्त सम्यक आख्या अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। समिति द्वारा कानपुर देहात जजशिप की अधिकृत ई-मेल आई०डी० dcknd@allahabadhighcourt.in के जरिये प्राप्त शिकायतों पर भी नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

सिस्टम आफिसर द्वारा उक्त आदेश की प्रति को इस न्यायिक प्रतिष्ठान की अधिकृत वेबसाइट पर सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाय एवं जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर भी चरपा किये जाने हेतु केन्द्रीय नजारात में प्रस्तुत किया जाय।

तदनुसार अनुपालनार्थ सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाय।

जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।